



2026:AHC-LKO:41303-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5615 वर्ष 2026

आकाश यादव

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ

एवं 2 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: सत्यम पांडे, चंद्रिका रानी उपाध्याय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिका 11.05.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुकदमा अपराध संख्या 0188 वर्ष 2026, धारा 115(2) बीएनएस (तत्समय धारा 323 आई० पी० सी० के अनुरूप), 351(3) बीएनएस (तत्समय धारा 506 आई० पी० सी० के अनुरूप) तथा 333 बीएनएस (तत्समय धारा 452 आई० पी० सी० के अनुरूप), थाना रौनाही, जनपद अयोध्या को उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी कर निरस्त करने की मांग करती है।
2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना और प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु का अवलोकन किया। याचिकाकर्ता बीएनएसएस की धारा 35 में निहित प्रावधानों के लाभ का हकदार है जो धारा 41क सी० आर० पी० सी० के अनुरूप हैं।
3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि कथित रूप से किए गए अपराध में सात वर्ष तक के कारावास का दंड है और पुलिस बीएनएसएस की धारा 35 के अंतर्गत धारा 35(3) से धारा 35(6) सहित निर्धारित रीति, ढंग और प्रक्रिया का पालन करेगी। ऐसी परिस्थितियों में विवेचक बीएनएसएस की धारा 35 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
4. यह इंगित करना उचित होगा कि इसी प्रकार के प्रावधान अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क का संज्ञान लेते हुए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता के रुख पर विचार किया है। अर्नेश कुमार के मामले (उपरोक्त) में निम्नलिखित (प्रासंगिक भाग) अभिनिर्धारित किया गया है:

"9. एक अन्य प्रावधान अर्थात् धारा 41क दं०प्र०सं० जिसका उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी या अभियुक्त पर मंडरा रही गिरफ्तारी की धमकी से बचना है को प्रभावी किया जाना आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (अधिनियम 5 वर्ष 2009) की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित धारा 41क जो इस संदर्भ में प्रासंगिक है निम्नानुसार है:

"41क. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना-

(1) पुलिस अधिकारी सभी मामलों में जहां धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त शिकायत की गई है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, या युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, अपने समक्ष या सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य स्थान पर उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना की शर्तों का अनुपालन करे।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4) जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने के लिए इच्छुक नहीं है वहां पुलिस अधिकारी इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए सूचना में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है।"

"उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि सभी मामलों में जहां दं० प्र० सं० की धारा 41(1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है पुलिस अधिकारी को अभियुक्त को किसी विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करना अपेक्षित है। विधि ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करती है और यह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आगे अधिदेशित करती है कि यदि ऐसा अभियुक्त सूचना की शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी दं० प्र० सं० की धारा 41 के अंतर्गत परिकल्पित गिरफ्तारी के लिए पूर्ववर्ती शर्त का अनुपालन किया जाना है और वह उपरोक्तानुसार मजिस्ट्रेट द्वारा उसी संवीक्षा के अधीन होगी।"

6. उपरोक्त पर विचार करते हुए, तथा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के इस कथन को भी ध्यान में रखते हुए कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए उपरोक्त रुख के दृष्टिगत याचिका का निस्तारण किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार के मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय में की गई टिप्पणी, जिसका प्रासंगिक भाग ऊपर उद्धृत किया गया है, यह याचिका पुलिस प्राधिकारियों को बीएनएसएस की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार मामले में सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए रीति, ढंग और प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो दं० प्र० सं० की धारा 41-क के प्रावधानों के अनुरूप हैं जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार के मामले (उपरोक्त) में स्पष्ट किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

17 जून, 2026

अरविंद

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।